पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन

Patna Municipal Corporation
Date:- 09-07-2020
2020207232
http://pmc.bihar.gov.in

Letter No. / पत्रांकः 07232
Date / दिनांकः 09/07/2020

स्वीकृत्यादेश

कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल का पत्रांक–657, दिनांक–27.02.2020 द्वारा प्रस्तावित योजना पर मुख्य नगर अभियंता के द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में निगम मद में उपलब्ध राशि से आवंटन किया जाना है। कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक–14.11.2019 को आहूत निगम बोर्ड की 18वीं साधारण बैठक के मद सं0–06, प्रस्ताव सं0–121 में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में क्र0–63 पर कार्यालय आदेश पत्रांक–191, दिनांक–03.01.2020 द्वारा प्रदान की गई है। जिसकी कुल प्राक्कलित राशि–1,48,41,700/– (एक करोड़ अड़तालीस लाख एकतालीस हजार सात सौ) रूपया मात्र है के विरूद्ध प्रशासनिक स्वीकृति का 40 प्रतिशत कुल मो0–59,36,680/– (उनसठ लाख छत्तीस हजार छः सौ अस्सी) रूपया मात्र का् आवंटन करने की स्वीकृति संचिका सं0 III-M-1325B/20/CME के पृष्ठ सं0–08/टि0, दिनांक– 06.07.2020 पर नगर आयुक्त द्वारा प्रदत्त की गई है।

अतः नगर आयुक्त के स्वीकृत्यादेश के अनुपालन में निम्न शर्त्तों पर आवंटन करने का आदेश दिया जाता है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का 40 प्रतिशत राशि
1.	1. Construction of Renewal Bituminous Road from High Court Gate No-4 to Birchand Patel Path, Under Ward No-21 of PMC Patna. 2. Construction of Renewal Bituminous Road from High Court Gate No-05 to Birchand Patel Path, (South Millar High School) Under Ward No-21 of PMC Patna. 3. Construction of Renewal Bituminous Road West of Solicitor General Building Office to Connect the Above Both Under Ward No-21 of PMC Patna. 1. Consturction 600mm Drain NP3 Hume Pipe Under Ground Drain from High Court Gate No-05 to Birchand Patel Path (South Millar High School) Under Ward No-21 of PMC Patna. 2. Consturction 600mm Drain NP3 Hume Pipe Under Ground Drain from Solicitor General Building Office to Connect the Above Both Under Ward No-21 of PMC Patna	**1,48,41,700.00**	**59,36,680.00**

संबंधित कार्यपालक अभियन्ता निम्नांकित नियम एवं शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे :–

नियम एवं शर्ते :–

1. योजना का कियान्वयन में निदेशित आदेश के अनुसार समय–समय पर निर्गत नियमों का अक्षरसहः पालन करते हुये प्राक्कलन में विनिर्दिष्ट के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. इस योजना के लिये आवंटित की गयी राशि का उपयोग किसी परिस्थिति में अन्य योजना के लिये नहीं करेंगे।
3. योजना के कियान्वयन में लगने वाले निर्माण समाग्रियों एवं कंक्रीटींग कार्य की गुणवता की जॉच किसी सरकारी विभाग से कराना अनिवार्य होगा।
4. लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा संधारण करेंगे।
5. योजना की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर अभिलेख बंद करते हुये पूर्णता सह–उयोगिता प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्यपालक अभियंता आदेश ज्ञापांक– 1675, दिनांक– 03.04.2012, 338 दिनांक– 19.01.2013, 333, दिनांक– 21.10.2013 एवं 4123 दिनांक– 29.10.2013 की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्यपालक अभियन्ता Duplicacy of work or double/extra expenditure के पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगें।
8. संबंधित कार्यपालक अभियन्ता कंडिका– 1 से 7 में वर्णित आदेशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुये कार्य का भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही विपत्र राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
9. योजना प्रारंभ करने से पहले निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय।
10. नियमानुसार निर्धारित समय से पूर्व किसी प्रकार की क्षति होने पर संबंधित कार्यकारी एजेंसी अभिकर्त्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगें।
11. योजना का निर्माण कार्य सरकारी जमीन में या माननीय राज्यपाल के नाम से निबंधित जमीन में ही करेंगे।
12. जिन मामलों में Chartered Accountant द्वारा Contingency के संबंध में मंतव्य दिया गया है उन मामलों में प्रशासनिक स्वीकृति का 40 प्रतिशत आवंटित राशि में से 0.5 प्रतिशत मुख्यालय खाता में सुरक्षित रहेगा एवं 0.5 प्रतिशत प्रमंडल खाता में हस्तांतरित किया जायेगा साथ ही साथ जिन मामलों में योजना पर Contingency राशि नहीं जोड़ी गई है उन मामलों पूर्व की शर्तें यथा– किसी भी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 0.5 प्रतिशत (शून्य दशमलव पॉच प्रतिशत) राशि उक्त योजना के अखबार में कराये गये निविदा विज्ञापन के भुगतान के लिये निगम कोष में जमा रहेगा यथावत् रहेगी।
13. इस शर्त पर की सभी विपत्रों की जॉचोंपरान्त एवं कार्य के भौतिक निरीक्षण के उपरान्त एवं भुगतान के पूर्व कार्य की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही राशि की भुगतान करेंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
14. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के द्वारा अंकेक्षण जाँच के क्रम में योजनाओं के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि पायी जाती है, तो उसके सम्पूर्ण जिम्मेवार, कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा लेखापाल व्यक्तिगत रूप से होंगे। किसी भी स्थिति में त्रुटियों का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगें।
15. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि द्वितीय किस्त प्राप्ती के क्रम में योजना से संबंधित मूल संचिका, भुगतान संचिका, योजना से संबंधित संचिका संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे उसके बाद ही द्वितीय किस्त पर विचार किया जायेगा।
16. मुख्य नगर अभियंता निविदा एवं कार्य का अनुश्रवण सतत् करेंगे।
17. उक्त राशि का आवंटन आपके मांग के आधार पर की जा रही है। कृपया इसे भुगतान की स्वीकृति न समझा जाय। तथा निर्गत स्वीकृत्यादेश में वर्णित कंडिकाओं के अनुरूप ही राशि का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
18. कार्यपालक अभियंता के प्रस्तावित उक्त योजनाओं पर मुख्य नगर अभियंता द्वारा सभी बिन्दुओं का पूर्णरूपेण जांच प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है एवं उक्त योजना के विरूद्ध किसी अन्य संचिका से स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नहीं इसका भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं पर पूर्णरूपेण जिम्मेवार कार्यपालक अभियंता होगें।

नगर आयुक्त के आदेशानुसार
संoसo– III-M-1325-B/20/CME
पृoसंo–08/टिo, दिनांक– 06.07.2020

09/7/2020
अपर नगर आयुक्त (योo)
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपिः– मुख्य नगर अभियंता/नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक/कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/7/2020
अपर नगर आयुक्त (योo)
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

09/7/2020
अपर नगर आयुक्त (योo)
पटना नगर निगम, पटना।